जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना रेहड **दिनांक – 05.02.2025**

थाना रेहड़ पुलिस ने जनपद बिजनौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की 08 घटनाओं का अनावरण करते हुए 04 शातिर चोरों को चोरी की गयी नकदी, पीली/सफेद धातु के आभूषण आदि सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

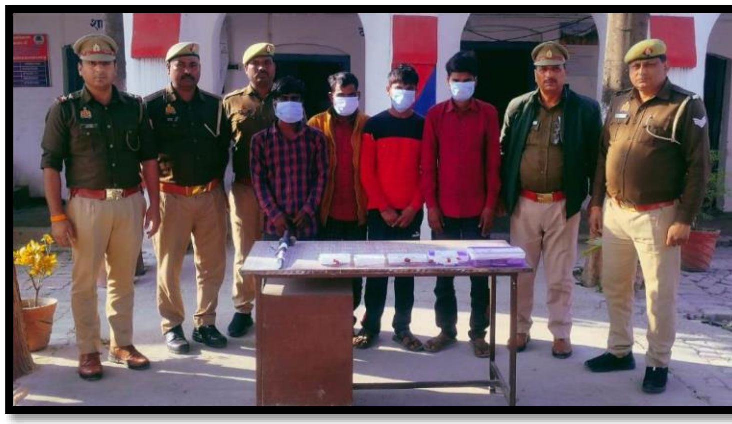

दिनांक 01.02.2025 को वादी श्री गौरव कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी ग्राम फजलाबाद परमानन्दपुर उर्फ मानियावाला थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ने थाना रेहड़ पर तहरीर दी कि वादी की बादीगढ चौराहे पर किराने की दुकान है, जिसमें दिनांक 31.01.2025 / 01.02.2025 को अज्ञात चोरों द्वारा शटर व लोहे का चैनल तोडकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया तथा करीब 30 हजार रुपये की नगदी (कुछ कटे फटे नोट व सिक्के) चोरी कर ली गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रेहड़ पर मु0अ0सं0 08/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 05.02.2025 को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये 04 अभियुक्तगण 1.गिरवर पुत्र भूधर निवासी ग्राम रम्पुरा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी 2.ओमकार उर्फ श्रवण पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम ईसापुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर 3.हुकम सिह पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर गोटिया थाना बंडा जनपद शाहजहांपुर 4.कालिया पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम रम्पुरा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी को चोरी गये माल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के 02 अन्य साथी 1.गंगू पुत्र जुगल किशोर तथा 2.राकेश पुत्र दिलीप निवासीगण रम्पुरा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी फरार है, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों ने पूछताछ में थाना रेहड क्षेत्र में 01, थाना धामपुर क्षेत्र में 03, थाना मंडावर क्षेत्र में 03, थाना नगीना क्षेत्र मे 01, थाना कोतवाली शहर क्षेत्र मे 02 घटनाऐं कारित किया जाना स्वीकार किया है, जिसमे से थाना रेहड़ की दिनांक 31.01.2025 की रात्रि की घटना से सम्बन्धित 18,200 /- रुपये बरामद हुए है। अभियुक्तों के कब्जे से उपरोक्त घटनायें कारित कर चोरी किये गये कुल 51,030 रुपए की नगदी, 350 रुपये के सिक्के व 01 सब्बल, 02 पेंचकस, 01 पिट्ठु बैग, पीली धातु के आभूषण (01 मंगलसूत्र, 04 कंगन व नोसपिन) एवं सफेद धातु के आभूषण (02 सिक्के, 03 जोडी पायल, 04 छल्ले, 02 बच्चे के कडे, एक जोडी बच्चे की पायल, 03 जोडी पायल तथा 02 छल्ले) बरामद हुए है।

अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर हैं जो जनपद शाहजहाँपुर तथा लखीमपुर खीरी के मूल निवासी है तथा चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए करीब 02 माह पहले गिरोह बनाकर जनपद बिजनौर मे आए थे और आए दिन बंद पडे मकान व दुकान आदि मे चोरी की घटनाओ को अंजाम दे रहे हैं। चोरी की गयी नगदी व आभूषण आपस में बांट लेते है और मौका मिलने पर अपने घर भेज देते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1.गिरवर पुत्र भूधर निवासी ग्राम रम्मपुरा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी

2.ओमकार उर्फ श्रवण पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम ईसापुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर

3.हुकम सिह पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर गोटिया थाना बंडा जनपद शाहजहांपुर

4.कालिया पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम रम्मपुरा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी

बरामदगी –

51,030 रुपये, 350 रुपये के सिक्के

पीली धातु के आभूषण – 01 मंगलसूत्र, 04 कंगन, नोसपिन

सफेद धातु के आभूषण – 02 सिक्के, 03 जोडी पायल, 04 छल्ले, 02 बच्चे के कडे, एक जोडी बच्चे की पायल, 03 जोडी पायल तथा 02 छल्ले

अनावरित किये गये अभियोगों का विवरण –

1.मु0अ0सं0 321/2024 धारा 305 बीएनएस थाना मंडावर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 319/2024 धारा 331(4),305(ए) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 18/2025 धारा 305 बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 32/2025 धारा 305 बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

5.मु0अ0सं0 18/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर

6.मु0अ0सं0 22/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर

7.मु0अ0सं0 25/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर

8.मु0अ0सं0 08/25 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना रेहड़ जनपद बिजनौर

अभियुक्त हुकम सिंह का पूर्व का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 669/2018 धारा 302 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

नोट – अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री किशन अवतार थाना रेहड जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री फिरोज खान थाना रेहड जनपद बिजनौर

3.प्रशिक्षु उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर

4.हे0कां0 641 दिनेश चहल थाना रेहड जनपद बिजनौर

5.कां0 1748 जिले सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर

6.कां0 1642 राजकुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर

7.कां0 1182 राजन थाना रेहड जनपद बिजनौर

8.कां0 275 अंबुल पंवार थाना रेहड जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद **दिनांक 05.02.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने दो वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों 1.साबू उर्फ शाबुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी मौ0 चारबाग जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व 2.शमशाद पुत्र जमालू निवासी मौ0 चारबाग जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.साबू उर्फ शाबुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी मौ0 चारबाग जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.शमशाद पुत्र जमालू निवासी मौ0 चारबाग जाब्तागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 नितेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.का0 1902 प्रवीण यादव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3.हो0गा0 765 सुरेश कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट **दिनांक – 05.02.2025**

थाना शेरकोट पुलिस ने दो अभियुक्तगण को एक अवैध तमन्चा व 03 जिन्दा कारतूस सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 04.02.2025 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तगण 1.अश्वनी पुत्र बिल्लू सिंह बाल्मिकी निवासी वार्ड नं0-3 कस्बा व थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) 2.विनय शर्मा पुत्र संजीव शर्मा निवासी ग्राम रायपुर थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) को एक अवैध तमन्चा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 30/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अश्वनी आदि उपरोक्त कुल 02 नफर पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1.अश्वनी पुत्र बिल्लू सिंह बाल्मिकी निवासी वार्ड नं0-3 कस्बा व थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

2.विनय शर्मा पुत्र संजीव शर्मा निवासी ग्राम रायपुर थाना जसपुर जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)

बरामदगी –

एक अवैध तमन्चा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 652 चैन सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3.कां0 1836 नसीब कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 05.02.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 03.04.2022 को वादी सोनू जोशी पुत्र स्व0 रमेश चन्द निवासी मौ0 गुजरातियान जसपुर ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि वादी के बहन के साथ उसके ससरालजन 1.सचिन (पति) 2. आदेश(ससुर) 3.कविता (सास) 4.रीमा (ननद) 5.शुभम (देवर) 6.सुषमा व 7. बिट्टू द्वारा जान से मारने की नियत से डीजल डालकर आग से जला दिया। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर मु0अ0सं0 100/22 धारा 498ए/323/307/506 भादवि पंजीकृत किया गया। वादी की बहन की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही अभियोग मे धारा 302 भादवि0 की वृद्धि की गयी। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 05.02.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, नगीना द्वारा मु0अ0सं0 100/22 धारा 302 भादवि0 के अभियुक्त सचिन पुत्र आदेश जोशी निवासी मौहल्ला जोशियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर उपरोक्त को आजीवन कारावास व 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- सचिन पुत्र आदेश जोशी निवासी मौहल्ला जोशियान थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना शेरकोट **दिनांक 05.02.2025**

थाना शेरकोट पुलिस ने अभियुक्त को भारी मात्रा में चोरी किये गए आभूषण व नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.02.2025 को वादी ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि दिनांक 02/03.02.2025 की रात्रि मे अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर का ताला तोडकर घर मे रखे सोने-चांदी के आभूषण व नगदी चोरी कर ली गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 29/2025 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त समीर पुत्र लियाकत निवासी मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही :-

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त समीर उपरोक्त को उपरोक्त चोरी की घटना से संबंधित पीली व सफेद धातु के आभूषण व 45,167/- रूपये की नगदी सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त से की गई पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश मे आये कि वह अपने परिवार के साथ दिल्ली मे रहता है तथा उसके चाचा भी दिल्ली मे ही रहते है। अभियुक्त व उसके चाचा का मकान कस्बा शेरकोट मे आमने-सामने है जोकि बन्द रहते है। अभियुक्त को अपने चाचा के बन्द मकान मे रखे सामान की पूरी जानकारी थी तथा अभियुक्त को अपनी माताजी जोकि काफी लम्बे समय से बीमार चल रही थी, के इलाज के लिए पैसो की बहुत ज्यादा जरुरत भी थी, इसलिए वह योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 02/03.02.2025 की रात्रि को दिल्ली स्थित अपने घर पर बिना किसी को बताये कस्बा शेरकोट मे अपने चाचा के बन्द पडे मकान पर आया और मकान का ताला तोडकर उसमे रखे सोने व चांदी के आभूषण व

नगदी चोरी करके रात्रि मे ही छुपते-छुपाते वापस अपने घर दिल्ली चला गया था। अभियुक्त उक्त चोरी किये सारे सामान को बेचने की फिराक मे शेरकोट आया हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

समीर पुत्र लियाकत निवासी मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

1) **पीली धातु के आभूषण**-- (06 जोडी कान के झाले, 02 जोडी झुमकी, 04जोडी टोप्स, 07 अँगुठी, 03 नाक की नथ, 06 नाक की लोंग, 03 टीका,14 कंगन, 07 गले की चैन, 03 गले के हार)

2) **सफेद धातु के आभूषण**-- (22 अगूँठी, 14 सिक्के, 02 पैरो मे पहनने वाली झांझर, 05 गले की चैन, 03 चुटिया,07 गले के हार, 10 जोडी पाजेब, 09 जोडी बिछवा, 08 जोडी कंगन, 01जोडी कडूले, 02 तागडी, 02 जोडी कान के झाले

3) 45,167/- रूपये की नगदी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 29/2025 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष शेरकोट जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

3.हे0का0 400 प्रदीप कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

4.का0 81 नितिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

5.का0 993 आकाश धामा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

6.का0 1152 सोनू कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।